

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 525 सन 2020

अनवान :-

1. ओमगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हेतगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. हुणतगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. विरजगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. सीता पुत्री नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 की कुल 6.0200हैक व खाता संख्या 130/123 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के देहान्त हो चुका है नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के जायज वारिसान नोरगगर के पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो नोरगगर पुत्र इन्द्रगर की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि जो नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के हकदार है

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की वहने है मृतक नोरगगर पुत्र इन्द्रकर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो वाद भूमि में बराबर का हक हिस्सा विरास्तन से पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 की कुल 6.0200हैक व खाता संख्या 130/123 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोगरगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के पिता नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के देहान्त हो चुका है नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के जायज वारिसान नोरगगर के पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो नोरगगर पुत्र इन्द्रगर की कृषि भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वाद भूमि जो नोगरगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के हकदार है

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहने है मृतक नोरगगर पुत्र इन्द्रकर की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे अपने वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।


वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 की कुल 6.0200हैक व खाता संख्या 130/123 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोगरगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वादी के पिता नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है नोरगगर पुत्र इन्द्रगर का देहान्त हो चुका है नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है अर्थात नोरगगर के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का विरास्तन से बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के

 अधिकारी  
बोहर

हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 की कुल 6.0200हैक व खाता संख्या 130/123 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोगरगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 की कुल 6.0200हैक व खाता संख्या 130/123 की कुल 6.3230हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोगरगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 के खसरा न0 165/6 की 0.5060हैक पूर्वी दिशा व खसरा न0 165/4 की 1.0120हैक पूर्वी दिशा एवं खाता संख्या 130/123 के खसरा न0 582/1 की उत्तरी दिशा की 1.3895हैक भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 133/288 के खसरा न0 219/3 की 4.995हैक भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 130/123 के खसरा न0 582/1 की दक्षिण दिशा की 4.9335हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 133/288 के खसरा न0 219 की दक्षिणी दिशा की 0.5060हैक एवं खाता संख्या 132/123 के खसरा न0 165/6 की पश्चिम दिशा की 1.0120हैक एवं खसरा न0 165/4 की पश्चिम दिशा की 3.490हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीव तकमील जाव्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाबदा दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :-

1. ओमगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हेतगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. हुणतगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
3. बिरजगर पुत्र नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. सीता पुत्री नोरगगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 525 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/01/2021**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 की कुल 6.0200हैक् व खाता संख्या 130/123 की कुल 6.3230हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नोरगगर पुत्र इन्द्रगर के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 के नाम रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 132/132 के खसरा न0 165/6 की 0.5060हैक् पूर्वी दिशा व खसरा न0 165/4 की 1.0120हैक् पूर्वी दिशा एवं खाता संख्या 130/123 के खसरा न0 582/1 की उत्तरी दिशा की 1.3895हैक् भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 133/288 के खसरा न0 219/3 की 4.995हैक् भूमि रहेगी , प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 130/123 के खसरा न0 582/1 की दक्षिण दिशा की 4.9335हैक् भूमि रहेगी प्रतिवादी संख्या 3 के पास रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 133/288 के खसरा न0 219 की दक्षिणी दिशा की 0.5060हैक् एवं खाता संख्या 132/123 के खसरा न0 165/6 की पश्चिम दिशा की 1.0120हैक् एवं खसरा न0 165/4 की पश्चिम दिशा की 3.490हैक् भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर